ा को वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 1/2 तथा 2/1 से 2/2 के संयुक्त हक बंट मौजा किशनपुरा व गडरिया के खेत खसरा नंबर 860 व 50 का माफिक ईकबाली जवाब । बंट चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन विभाजन नहीं है अतः खसरा नंबर 860 व 50 की भूमि का ा पूर्ण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा ते हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 14.10.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश किये गये थे।

जिसकी पालना में तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 14.10.2021 की । में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 4913 दिनांक 22.12.2021 को प्राप्त हुआ। क डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा व सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा रान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित रान् में वादी एवं प्रतिवादीगण जगदीशसिंह, गणेशसिंह, नन्दूसिंह, गोरधनसिंह ने बंटवारा पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर या गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान मसिंह एवं याकुब अली तथा भू.अभि.निरीक्षक कमेड़िया की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2/3 व 2/7 के नाम दाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत ा है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 2/3 व 2/7 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क ा करवाये जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा **किशनपुरा** तहसील जायल खेत खसरा नं. 860 रकबा 7.7619 हैक्टेयर , **मौजा गडरिया** के खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7. 91 हैक्टेयर, मौजा खेड़ा हीरावास के खेत खसरा नंबर 224 रकबा 1.4083 हैक्टेयर का विभाजन ं खातेदारी घोषणा वादपत्र सहमति तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम दीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान ाश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा **किशनपुरा** तहसील जायल में खेत खसरा ...0 रकबा 7.7619 हैक्टेयर , **मौजा गडरिया** के खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.0091 हैक्टेयर, मौजा खेड़ा हीरावास के खेत खसरा नंबर 224 रकबा 1.4083 हैक्टेयर का विभाजन एवं खातेदारी घोषणा वादपत्र सहमति तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंबर 860 रकबा 7.7619 हैक्टैयर में से 2..3364 पश्चिमी कोने का भाग व मौजा गडरिया का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.009 हैक्टैयर में से 2.5873 पश्चिमी भाग रखा गया है।
2. प्रतिवादी 1/1 से 1/2 गणेशसिंह (1/2) व नंदूसिंह (1/2) के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंबर 860 रकबा 7.7619 हैक्टैयर में से 2.3364 हैक्टेयर दक्षिणी भाग व मौजा गडरिया का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.009 हैक्टेयर में से 2.5873 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/2 गोरधनसिंह (1/2), व पारस कंवर (1/2) सयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंबर 860 रकबा 7.7619 हैक्टैयर में से 2.

Scanned with CamScanner

3363 हैक्टेयर उतरी पूर्वी कोने का भाग व मौजा गडरिया का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.009 हैक्टेयर में से 2.5873 हैक्टेयर मध्य भाग रखा गया है।

4. मौजा खेड़ाहीरावास का खेत खसरा नंबर 224 रकबा 1.4083 हैक्टेयर वादी जगदीश तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 गणेश सिंह व नंदूसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/2 गोरधनसिंह व पारस कंवर के संयुक्त हक में रखा गया है।

5. प्रतिवादी संख्या 1/3 वृद्ध महिला है तथा खेती नहीं करती है, प्रतिवादी संख्या 2/3 से 2/7 अपने ससुराल में रहती है यहां खेत नहीं करती है इसलिये इनके बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2/3 से 2/7 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।

6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/03/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner